पत्रांक ..206....... / विधि शाखा।
वरीय पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, भागलपुर।

प्रेषक,

वरीय पुलिस अधीक्षक,
भागलपुर।

सेंवा मे

Before The National Green Tribunal Principal Bench,
New Delhi।

भागलपुर दिनांक..21.... / ....04.... / 2021

प्रसंगः— BeforeThe National Green Tribunal Principal Bench, New Delhi का मूल आवेदन का नं0—198 / 2022 दिनांक—16.03.2022

विषयः— दिनांक—05.03.2022 को हिन्दुस्तान टाईम्स में प्रकाशित खबर "Bhagalpur:14 dead in firecracker unit blast" से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त प्रसंगाधीन विषयक संदर्भ में सादर सूचित करना है कि दिनांक—05.03. 2022 को हिन्दुस्तान टाईम्स में प्रकाशित खबर "Bhagalpur:14 dead in firecracker unit blast" से संबंधित पुलिस उपधीक्षक नगर, भागलपुर से प्रतिवदेन प्राप्त कर साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

कृपया सादर सूचनार्थ।

विश्वासभाजन

वरीय पुलिस अधीक्षक,
भागलपुर।

पत्रांक 1940 / नगर
पुलिस उपाधीक्षक,नगर का कार्यालय, भागलपुर।

प्रेषक,

पुलिस उपाधीक्षक नगर सह,
पुलिस उपाधीक्षक(मु0)प्रथम,भागलपुर।

सेवा में,

वरीय पुलिस अधीक्षक,
भागलपुर।

भागलपुर, दिनांक :- 20.04.22

प्रसंग :- **Before the National Green Tribunal Principal Bench, New Delhi** का मूल आवेदन का नं0–198/2022, दिनांक–16.03.2022 तद्नुसार भवदीय कार्यालय रिसटि सं0–5077/सी0, दिनांक–28.03.2022, ज्ञापांक–202/वि0शा0,दिनांक–16.04.22

विषय :- दिनांक–05.03.2022 को हिन्दुस्तान टाईम्स में प्रकाशित खबर "**Bhagalpur : 14 dead in firecracker unit blast**" से संबंधित मांगी गई वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

===============

महाशय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषयक के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि हिन्दुस्तान टाईम्स में प्रकाशित खबर " **Bhagalpur : 14 dead in firecracker unit blast**" के संबंध में जाँच किया, जो तातारपुर थाना कांड सं0–45/22, दिनांक–04.03.2022, धारा–326/307/302/34 भा0द0वि0 एवं 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0–1908 से संबंधित है। उक्त कांड वादी पु0अ0नि0 पूर्णानेन्दु कुमार (तातारपुर थाना) पे0–अच्युतानंद मिश्रा, सा0–बड़ी ऐघु वार्ड नं0–41, थाना–मुफ्फसिल, जिला–बेगूसराय के द्वारा दिये गये टंकित आवेदन के आधार पर प्रा0अभि0 1. मृतका लीलावती देवी पति–स्व0 शंकर मंडल व उनके परिवार 2. मृतक महेन्द्र मंडल पे0–स्व0 छटु मंडल दोनों सा0–काजवलीचक, थाना– तातारपुर, जिला–भागलपुर 3. मो0 आजाद पे0–स्व0 शमी आलम, सा0–चमेलीचक, थाना–हबीबपुर, जिला–भागलपुर एवं अन्य अज्ञात के विरूद्ध विध्वंशक विस्फोटक पदार्थ का भंडारण करने व विस्फोटक पदार्थ के विस्फोट हो जाने से कुल 14 (चौदह) व्यक्तियों की मृत्यु व 09(नौ) व्यक्तियों के गंभरी रूप से जख्मी हो जाने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया। ईलाज के दौरान एक ईलाजरत महिला की मृत्यु के पश्चात कुल मृतकों की संख्या–15 एवं जख्मीयों की संख्या–08 है।

उक्त कांड के अनुसंधानकर्त्ता पु0अ0नि0 सुनील कुमार झा, तातारपुर थाना हैं।

उक्त कांड के प्रा0अभि0 1. लीलावती देवी पति–स्व0 शंकर मंडल एवं 2. महेन्द्र मंडल पे0–स्व0 छटु मंडल दोनों सा0–काजवलीचक, थाना–तातारपुर, जिला–भागलपुर की ईलाज के दौरान मृत्यु हो चुकी है तथा प्रा0अभि0 3. मो0 आजाद पे0–स्व0 शमी आलम, सा0–चमेलीचक, थाना–हबीबपुर, जिला–भागलपुर दिनांक–07.03.2022 को मान्नीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर न्यायिक हिरासत में हैं। कांड अनुसंधानांतर्गत है।

विदित हो कि दिनांक–03.03.2022 को भागलपुर जिला के तातारपुर थानान्तर्गत मसोमात लीलावती देवी पति–स्व0 शंकर मंडल के घर में विस्फोट की घटना घटित हुई है, जिसमें उक्त महिला सहित अगल–बगल के घर (मकान) ध्वस्त हो गये हैं, जिसका मलवा घटनास्थल से उठाकर विभिन्न स्थानों (भैरवा तालाब/भूतनाथ, विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र एवं ग्लोकल हॉस्पीटल के पीछे सबौर थाना क्षेत्र) पर गिराया गया। उक्त मलवे की जाँच/तलाशी हेतु विशेष दल का गठन किया गया है, ताकि गिराये गये मलवे का गहनता पूर्वक जाँच/तलाशी लेते हुए छोटे–से–छोटे प्रदर्श जो महत्वपूर्ण हो सकता है, को विधिवत जप्ती–सूची बनाकर जप्त किया जा सके।

उल्लेखनीय है कि इस घटनाक्रम में घटनास्थल से ईलाज हेतु भेजे गये व्यक्तियों में से अबतक कुल 15 (पंन्द्रह) व्यक्ति क्रमशः 1. लीलावती देवी (उम्र–50 वर्ष) पति–स्व0 शंकर मंडल 2. पिंकी देवी (उम्र–30 वर्ष) पति–दिलीप मंडल 3. प्रियांशु कुमार (उम्र–10 वर्ष) पे0–दीपक मंडल 4. अयांश (उम्र–$1\frac{1}{2}$ वर्ष) पे0–संतोष कुमार 5. महेन्द्र मंडल (उम्र–70 वर्ष) पे0–स्व0 छठु मंडल 6. शीला देवी (उम्र–60 वर्ष) पति–महेन्द्र मंडल 7. नंदनी देवी (उम्र–35 वर्ष) पे0–महेन्द्र मंडल 8. सुनील उर्फ गोरे मंडल (उम्र–30 वर्ष) पे0–महेन्द्र मंडल 9. राज कुमार साह (उम्र–47 वर्ष) पे0–स्व0 भगवान साह 10. राहुल कुमार उर्फ रोहित (उम्र–16 वर्ष) पे0–राजकुमार साह सभी सा0–काजवलीचक, थाना–तातारपुर, जिला–भागलपुर 11. आरती देवी (उम्र–22 वर्ष) पति–संतोष कुमार, सा0–नूरपुर, थाना–तातारपुर 12. मून (उम्र–03 वर्ष) पे0–मनोज मंडल, सा0–बसगढ़ा, जिला–मुंगेर 13. गणेश सिंह (उम्र–65 वर्ष) पे0–मोबली सिंह एवं 14. उर्मिला देवी (उम्र–60 वर्ष) पति–बैजनाथ साह दोनों सा0–पूरब टोला शीतला स्थान, थाना–कहलगाँव हाल मोकाम काजवली चक, थाना–तातारपुर, जिला–भागलपुर 15.आयशा मंसूर पे0–मो0 मंसूर साकिन–कजवालीचक, थाना–तातारपुर, जिला–भागलपुर की मृत्यु हो गई है तथा 1. शीला देवी पति–ओम प्रकाश साह 2. वैष्णवी (उम्र–03 वर्ष) पे0–अमित कुमार 3. जया (उम्र–25 वर्ष) पे0–ओम प्रकाश साह 4. श्रवण कुमार पे0–कैलाश साह 5. सोनी कुमार पति–अमित कुमार 6. रिंकू कमार पे0–ओम प्रकाश साह 7. राखी कुमारी पे0–निर्मल कुमार साह 8. नवीन मंडल पे0–महेन्द्र मंडल सभी सा0–काजवलीचक, थाना–तातारपुर, जिला–भागलपुर सभी गंभीर रूप से जख्मी हैं।

इस घटना को लेकर भवदीय के कार्यालय ज्ञापांक–1446/गो0, दिनांक–04.03.2022 द्वारा कांड के सफल उदभेदन हेतु पुलिस उपाधीक्षक, नगर सह (मु0) प्रथम के नेतृत्व में SIT की गठन की गई है। तत्पश्चात् पुलिस उप–महानिरीक्षक पूर्वीय क्षेत्र, भागलपुर के कार्यालय ज्ञापांक–629/सी0आर0, दिनांक–08.03.22 द्वारा इस कांड के समीक्षा बैठक के वृत में 47 बिन्दुओं पर अग्रतर अनुसंधान हेतु निर्देश प्राप्त हुआ है।

उल्लेखनीय है कि दिनांक–03.03.2022 की रात्रि समय 10:00 बजे तातारपुर थाना के पुलिस पदाधिकारी इस कांड के वादी पु0अ0नि0 पूर्णनेन्दु कुमार साथ सशस्त्र बल के साथ सरकारी वाहन से रात्रि गश्ती में निकले थे। उसी दौरान रात्रि समय करीब 11:30 बजे उर्दू बाजार में गश्ती के क्रम में गश्ती दल के पुलिस पदाधिकारी वादी पु0अ0नि0 पूर्णनेन्दु कुमार को जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। तत्क्षण पु0नि0 –सह– थानाध्यक्ष, तातारपुर द्वारा वादी को सूचित किया गया कि काजवलीचक यतीम खाना के सामने धमाका हुआ है, जिस कारण वहाँ अफरा–तफरी मचा हुआ है। पु0नि0 –सह– थानाध्यक्ष, तातारपुर से प्राप्त सूचना के आलोक में जब गश्ती दल के पुलिस पदाधिकारी वादी सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु गश्ती दल के साथ जब रात्रि समय करीब 11:40 बजे काजवलीचक स्थित यतीम खाना के पास पहुँचे तो वहाँ चारो तरफ धुआँ फैला हुआ देखा गया, जहाँ बारूद की गंध आ रही थी। साथ हीं वहाँ काफी मात्रा में पक्के मकान का मलवा आस–पास में बिखरा हुआ था व उस मलवे से कई व्यक्तियों के कड़ाहने की आवाज आ रही थी। इस घटना को लेकर वहाँ काफी संख्या में स्थानीय लोग का भीड़ इकट्ठा होने लगा। घटना की सूचना पर पु0नि0 –सह– थानाध्यक्ष, तातारपुर व अधोहस्ताक्षरी के साथ–साथ सभी वरीय पदाधिकारीगण व सशस्त्र पुलिस बल घटनास्थल पर पहुँची। उसके बाद वरीय पदाधिकारी के निर्देशन में वहाँ उपस्थित सशस्त्र बल/ स्थानीय लोग एवं राहत कार्य में लगे कर्मियों के सहयोग से मलबे में दबे व्यक्तियों को बाहर निकाल कर उसे ईलाज हेतु एम्बुलेंस से मायागंज अस्पताल भेजा जाने लगा। उसी बीच घटना की सूचना पर विशेषज्ञ विधि–विज्ञान प्रयोगशाला, भागलपुर, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्कॉड की टीम भी घटनास्थल पर पहुँची तथा लीलावती देवी पति–स्व0 शंकर

मंडल एवं महेन्द्र मंडल पे0–स्व0 छठु मंडल दोनों सा0–काजवलीचक यतीम खाना के सामने, थाना–तातारपुर, जिला– भागलपुर के विस्फोटक से क्षत–विक्षत आवासीय परिसर (घटनास्थल) से बम निरोधक दस्ता द्वारा 10(दस) कि0ग्रा0 बारूद जैसा काले रंग का पाउडर एवं 01(एक) कि0ग्रा0 सल्फर जैसा पीले रंग का पाउडर, 06(छः) पैकेट लच्छा (मिरचाइ) पटाखा बरामद किया गया, जिसमें से प्रदर्श के रूप में 1. बारूद जैसा काले रंग का पाउडर 50–50 ग्राम का चार पोलीथिन में 2. सल्फर जैसा पीले रंग का पाउडर करीब 50 ग्राम एक पोलीथिन में 3. 01(एक) पैकेट लच्छा (मिरचाइ) पटाखा जप्त कर उसे गश्ती दल के पुलिस पदाधिकारी इस कांड के वादी को सुपूर्द किया गया और शेष बचे विस्फोटक पदार्थ (बारूद) को बम निरोधक दस्ता के विशेषज्ञों द्वारा घटनास्थल पर हीं विनष्ट कर दिया गया। साथ हीं घटनास्थल पर उपस्थित दो स्वतंत्र साक्षी 1. सुनील सिंह पे0–स्व0 छेड़ी सिंह एवं 2. बब्बू रजक पे0–गोपाल रजक दोनों सा0–काजवली चक, थाना–तातारपुर, जिला–भागलपुर के समक्ष मलबे में दबे सामग्रियों का तलाशी लिये जाने पर वहाँ से 4. करीब 200 ग्राम पटसन का रस्सी 5. बारूद का गंध युक्त जला हुआ प्लास्टिक का बोरा 6. चार अदद ए0के0 आतिशबाज नाम से रसीद पता के रूप में जय प्रकाश मार्ग रोड काजवलीचक तातारपुर भागलपुर 812002 अंकित किया हुआ 7. पटाखा से संबंधित एक कैटलॉग 8. पटाखा से संबंधित एक कैटलॉग, जो राजेश्वरी के नाम से उल्लेखित है 9. मकान का मलबा एवं 10. पीले रंग का प्लास्टिक का पन्नी बरामद हुआ, जिसे उपरोक्त दोनों स्वतंत्र साक्षी के समक्ष विधिवत कांड में साक्ष्य प्रदर्श के रूप में जप्त किया गया है।

घटना के जाँच के क्रम में स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया है कि उक्त घटना लीलावती देवी पति–स्व0 शंकर मंडल एवं उनके परिजन महेन्द्र मंडल पे0–स्व0 छठु मंडल तथा महेन्द्र मंडल के परिवार के लोग सभी सा0–काजवलीचक, थाना–तातारपुर, जिला–भागलपुर व आजाद आलम पे0–स्व0 शमी आलम, सा0–चमेलीचक, थाना–हबीबपुर, जिला–भागलपुर एवं अन्य के द्वारा अवैध रूप से विस्फोटक पदार्थ बाहर से खरीद कर पटाखा एवं अन्य विस्फोटक पदार्थ का भण्डारण व खरीद–बिक्री का कारोबार किया करते हैं। साथ हीं जाँच के क्रम में यह भी पता चला है कि आजाद आलम के द्वारा लीलावती के परिवार से हीं उक्त घटना घटित जमीन खरीदा गया है, परन्तु अब तक लीलावती देवी अपने परिवार के साथ उसी घर में रहा करती थी। घटनास्थल के बगल में हीं आजाद आलम अपना गेट–ग्रील का कारोबार करते हैं। इस प्रकार उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा अन्य अज्ञात के सहयोग से विध्वंशक विस्फोटक पदार्थ का भंडारण किया गया था, जिस विस्फोटक पदार्थ के विस्फोट हो जाने से कुल 15 (पंन्द्रह) व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 08(आठ) व्यक्ति गंम्भीर रूप से जख्मी हो गये। इस घटना को लेकर वादी पु0अ0नि0 पूर्णानेन्दु कुमार (तातारपुर थाना) पे0–अच्युतानंद मिश्रा, सा0–बड़ी ऐघु वार्ड नं0–41, थाना–मुफ्फसिल, जिला–बेगूसराय के द्वारा दिये गये टंकित आवेदन के आधार पर प्रा0अभि0 1. मृतका लीलावती देवी पति–स्व0 शंकर मंडल व उनके परिवार 2. मृतक महेन्द्र मंडल पे0–स्व0 छठु मंडल एवं उसके परिवार दोनों सा0–काजवलीचक, थाना– तातारपुर, जिला–भागलपुर 3. मो0 आजाद आलम पे0–स्व0 शमी आलम, सा0– चमेलीचक, थाना–हबीबपुर, जिला–भागलपुर एवं अन्य अज्ञात के विरूद्ध तातारपुर थाना कांड सं0– 45/22, दिनांक–04.03.2022, धारा–326/307/302/34 भा0द0वि0 एवं 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0–1908 दर्ज किया गया है।

कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन

20/04/22

पुलिस उपाधीक्षक, नगर,
–सह–मु0–01, भागलपुर।